<u>अंशकालिक चिकित्सा परामर्शदाता के पद हेतु आवेदन पत्र,</u>
<u>भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर</u>

फोटो

1.	पूरा नाम (उपनाम पहले)	श्री/श्रीमती/कु.	
2.	पता		
		भारतीय रिज़र्व बैंक, रामबाग सर्किल, टोंक रोड़, जयपुर स्थित औषधालय से अनुमानित दूरी	दूरभाष सं./ मोबाइल नं.
	निवास		
	औषधालय		
3.	जन्मतिथि और आयु (01/06/2014 को)		
4.	जन्म स्थान और मूल निवास		
5.	राष्ट्रीयता		
6.	शैक्षिक योग्यता (डिग्री/डिप्लोमा, उच्चतम से प्रारंभ)		

डिग्री/डिप्लोमा	विश्वविद्यालय/बोर्ड	उत्तीर्ण करने का वर्ष	श्रेणी

7.	आवेदक द्वारा चिकित्सा में उत्तीर्ण किये गए किसी अन्य पाठ्यक्रम का विवरण	

.....2.

8.	अनुभव का विवरण (केवल स्नातक के बाद अर्जित अनुभव का ही वर्णन किया जाए)				
		से	तक	वर्ष	माह
क.	चिकित्सालय				
	अन्य किसी क्षेत्र में भी यदि कोई अनुभव हो तो वर्णन करें				
ख.	सामान्य चिकित्सा				
9.	अन्य कोई जानकारी जिसे आवेदक अपने आवेदन पत्र के समर्थन में देना चाहता है				

मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा इस आवेदन पत्र में दी गई सारी जानकारी/और ब्योरा सत्य तथा सही है। मैं यह भी जानता/जानती हूँ कि यदि ऊपर दी गई कोई जानकारी असत्य या गलत पाई गई या यदि कोई तथ्यात्मक जानकारी या विवरण छिपाया गया है या उसका लोप किया गया है तो मेरी सेवाएं बिना किसी सूचना या मुआवजे के निलम्बित की जा सकेंगी।

स्थान:

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

<u>निर्देश</u>

1. आवेदन पत्र आवेदक द्वारा विधिवत रूप से भरा होना चाहिए।
2. अधूरे भरे आवेदन पत्र अस्वीकृत किये जाने योग्य हैं।
3. आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि से संबंधित प्रमाण पत्रों की प्रतियां आवेदन के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर

<u>मुख्य कार्यालय के औषधालय हेतु संविदा आधार पर नियुक्त</u>

<u>अंशकालिक चिकित्सा परामर्शदाता के कर्तव्य और नियम व शर्तें</u>

1. बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की नियुक्ति मुख्य कार्यालय भवन, टोंक रोड़, जयपुर में अंशकालिक और संविदा आधार पर की जाएगी और प्रथम तीन वर्ष की संविदा सेवा के लिए 450/- रूपये प्रति घंटें के हिसाब से पारिश्रमिक अदा किया जायेगा।

2. वह मुख्य कार्यालय भवन, टोंक रोड़, जयपुर स्थित बैंक औषधालय में सभी कार्य दिवसों पर (रविवार और अवकाश के अतिरिक्त) 3 घंटे के लिए उपस्थित होगें और बैंक के स्टाफ सदस्यों जिसमें दौरे पर आया स्टाफ शामिल है तथा परिवार के सदस्यों जो उस समय वहां उपस्थित हों को नि:शुल्क परामर्श देंगें, दवाइयां लिखेंगें और इंजेक्शन लगाएगें। समय बैंक द्वारा तय किया जायेगा और जब भी बैंक आवश्यक समझे उसे बदला जा सकेगा।

3. आवश्यक मामलों में उसे अपने निजी क्लीनिक में भी नि:शुल्क परामर्श प्रदान करना होगा।

4. जब भी बैंक को आवश्यक प्रतीत हो उसे बैंक के स्टाफ के किसी भी सदस्य के घर जाना होगा और स्टाफ सदस्य की स्वास्थ्य रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी (ऐसे दौरे के लिए उसे केवल परिवहन शुल्क देय होगा जो कि उस ग्रेड के अधिकारी द्वारा वास्तविक दूरी तय करने पर लागू शुल्क के बराबर होगा)। इस संबंध में अन्य कोई शुल्क देय नहीं होगा।

5. जब भी अनुरोध किया जाये वह अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके घर पर देखेगा और स्थानीय स्थितियों के अनुसार जैसा बैंक द्वारा तय किया है, उनसे विजिट शुल्क या परामर्श शुल्क लेगा। विजिट शुल्क/परामर्श शुल्क में इंजेक्शन आदि लगाने का शुल्क भी शामिल है। ऐसे दौरे के लिए उनके द्वारा अन्य कोई शुल्क नहीं वसूला जायेगा।

6. जब भी आवश्यक हो रुग्णतावकाश के समर्थन में प्रमाण पत्र जारी करेगा और यदि वह मामले की सच्चाई से संतुष्ट हो तो अन्य योग्य चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करेगा।

7. वह बैंक कर्मचारियों के उपचारात्मक उद्देश्य के लिए आवश्यक विशेष / मंहगी दवाओं या इंजेक्शनों की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित औषधि विक्रेता को ऑॅर्डर फार्म (निर्धारित) जारी करेगा और संबंधित बिल के भुगतान के लिए प्रत्येक माह उसकी प्रति बैंक को प्रेषित करेगा।

........2.

8. वे बैंक कर्मचारियों अथवा उनके परिवार के सदस्यों को हास्पिटल सुविधायें प्रदान करने में अपने प्रभाव का उपयोग करेंगे।

9. वे बैंक में भर्ती के लिए सम्भावित उम्मीदवारों की विस्तृत चिकित्सकीय जाँच करेंगे और शारीरिक उपयुक्तता के विषय में निर्धारित प्रारूप में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। रिपोर्ट के लिए उन्हें तृतीय/चतुर्थ श्रेणी स्टाफ के लिए रु.75/- तथा अधिकारियों के लिए रु.125/- शुल्क दिया जाएगा।

10. उन्हें स्टाफ क्वार्टर्स का माह में एक बार दौरा करना होगा कि और परिसर के स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर रखे जाने के विषय में रिपोर्ट देनी होगी।

11. उन्हें वर्ष में एक बार अथवा जब भी अपेक्षित हो टायफाइड आदि के लिए रोगनिरोधी टीके और चेचक के लिए टीके लगाने होंगे।

12. वे स्टाफ के सामान्य स्वास्थ्य के विषय में 30 जून को निर्धारित प्रारूप में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

13. वे मुख्य कार्यालय भवन, टोंक रोड, जयपुर स्थित बैंक के चिकित्सालय के प्रभारी होंगे और अपने कार्य समय के दौरान वे दवाओं के उचित स्टोरेज उनके वितरण तथा इसके लिए सभी प्रकार के अभिलेख के ररखाव की व्यवस्था करेंगे।

14. नियुक्ति दोनों पक्षों की ओर से तीन माह की सूचना अथवा उसके बदले तीन माह का वेतन जमा करके समाप्त की जा सकेगी।

15. वे क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे।

16. उन्हें अपने खर्चे पर बीएमसी/लोकल सिविल सर्जनसे प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

17. वे अनुपस्थित रहे उस दिन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे।